भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2133

12 फरवरी 2026, को उत्तर दिए जाने के लिए

कूड़ा, अपशिष्ट और सीवेज के लिए वित्तीय सहायता

†2133. श्री अ. मनिः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के शहरी क्षेत्रों में कूड़ा, अपशिष्ट और सीवेज प्रबंधन एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में की गई/की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राज्यों को कूड़ा और सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है, और तमिलनाडु को पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता का वर्षवार और शहरवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में राज्यों द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति का आकलन किया गया है/किए जाने का विचार है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख) : देश में बढ़ती शहरी आबादी के कारण देश के शहरी क्षेत्रों में कूड़ा-कचरा और सीवेज प्रबंधन की मांग में वृद्धि हुई है। इन मांगों को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0 (एसबीएम-यू 2.0) की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य अपशिष्ट के सभी अंशों के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरों को कचरा-मुक्त बनाना है।

स्वच्छतम पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 97 प्रतिशत वार्डों में घर-घर कचरा संग्रहण 100 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, जबकि 88 प्रतिशत वार्डों में नगरपालिका ठोस कचरे का पृथक्करण 100 प्रतिशत तक हो चुका है। शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन कुल 1,62,293 टन नगरपालिका ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से 1,32,514 टन कचरे का प्रतिदिन प्रसंस्करण किया जाता है। वर्तमान प्रसंस्करण क्षमता 81.65 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।

एक लाख से कम आबादी वाले शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन से निपटने के लिए एसबीएम-यू 2.0 के तहत प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) नामक एक नया घटक शुरू किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन के साथ-साथ शहरों/सांविधिक कस्बों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनाने के लिए अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) को भी क्रियान्वित कर रहा है।

(ग): स्वच्छता राज्य का विषय है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर नियमावली/प्रक्रिया मानक (एसओपी) साझा करके और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के चयन हेतु समय-समय पर विभिन्न परामर्शिकाएँ एवं दिशानिर्देश जारी करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में नीतिगत दिशा-निर्देश, वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

भारत सरकार ने एसबीएम-यू 2.0 के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) के अंतर्गत 10,930.12 करोड़ रुपये और प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्लूएम) के अंतर्गत 15,926.55 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। एसडब्ल्यूएम घटक के अंतर्गत, 158325.72 टन प्रति दिन (टीपीडी) क्षमता वाले अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना, 580 यांत्रिक सड़क सफाई मशीनों की खरीद और 19.48 करोड़ मीट्रिक टन (एमटी) पुराने अपशिष्ट के शोधन हेतु 9503.76 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से वाली कार्य योजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है। यूडब्लूएम घटक के अंतर्गत, 10,830.56 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी/एफएसटीपी, 17,143 किलोमीटर के आईएंडडी नेटवर्क और 1,940 सीईएसएस पूल टैंकर/डीस्लजिंग मशीन तथा 517 अन्य डीस्लजिंग उपकरणों को अनुमोदित किया जा चुका है।

एसबीएम-यू 2.0 के तहत, केंद्र सरकार द्वारा आवंटित निधि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती है, न कि शहरों को। अनुमोदित वित्तीय सहायता का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक - I में दिया गया है। एसबीएम-यू 2.0 के तहत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में तमिलनाडु को जारी की गई निधि का विवरण नीचे दिया गया है:

2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
384.66 करोड़	69.05 करोड़	180.04 करोड़	234.21 करोड़

अमृत के सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन क्षेत्र के तहत, 4,843 एमएलडी वाली कुल 889 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाओं और अमृत 2.0 के तहत, 6,649 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता वाली 583 सीवरेज/सेप्टेज परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है। सीवेज और सेप्टेज प्रबंधन के लिए अमृत के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(घ): शहरों में स्वच्छता की स्थिति और एसबीएम-यू के कार्यान्वयन में प्रगति का आकलन करने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के माध्यम से वर्ष 2016 से एक वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण - 'स्वच्छ सर्वेक्षण' आयोजित कर रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत कार्य निष्पादन का राज्य-वार विवरण https://ss2024.sbmurban.org/#/home पर उपलब्ध है।

******

अनुलग्नक - I

"कूड़ा, अपशिष्ट और सीवेज के लिए वित्तीय सहायता" के संबंध में दिनाँक 12.02.2026 के लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2133 के उत्तर में उल्लेखित भाग (ग) के संदर्भ में विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	8.60
2	आंध्र प्रदेश	1409.75
3	अरुणाचल प्रदेश	129.45
4	असम	496.48
5	बिहार	1190.76
6	चंडीगढ़	45.20
7	छत्तीसगढ	619.78
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	29.17
9	दिल्ली	1140.57
10	गोवा	71.28
11	गुजरात	1327.28
12	हरियाणा	246.68
13	हिमाचल प्रदेश	163.51
14	जम्मू और कश्मीर	666.95
15	झारखंड	358.78
16	कर्नाटक	2157.75
17	केरल	218.20
18	लद्दाख	9.50
19	मध्य प्रदेश	2013.46
20	महाराष्ट्र	3390.37
21	मणिपुर	117.38
22	मेघालय	67.29
23	मिजोरम	115.70
24	नागालैंड	171.47
25	ओडिशा	769.32
26	पुद्चेरी	83.21
27	पंजाब	650.77
28	राजस्थान	1720.80
29	सिक्किम	30.10

30	तमिलनाडु	3261.36
31	तेलंगाना	993.40
32	त्रिपुरा	70.13
33	उत्तर प्रदेश	3523.42
34	उत्तराखंड	127.41
35	पश्चिम बंगाल	1438.24
	कुल	**28833.52**

अनुलग्नक - II

"कूड़ा, अपशिष्ट और सीवेज के लिए वित्तीय सहायता" के संबंध में दिनाँक 12.02.2026 के लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2133 के उत्तर में उल्लेखित भाग (ग) के संदर्भ में विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अमृत		अमृत 2.0	
		सं.	लागत	सं.	लागत
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	40	598.47	71	2495.50
3	अरुणाचल प्रदेश	2	53.50	0	0
4	असम	0	0	2	67.34
5	बिहार	0	0	11	3445.08
6	चंडीगढ़	2	20.20	4	115.08
7	छत्तीसगढ	30	379.17	5	645.37
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2	21.96	1	63.47
9	दिल्ली	7	408.79	38	4832.35
10	गोवा	3	117.53	1	21.26
11	गुजरात	98	2943.89	167	6877.24
12	हरियाणा	44	1655.23	16	1353.24
13	हिमाचल प्रदेश	14	99.71	2	11.6
14	जम्मू और कश्मीर	15	137.26	3	373.35
15	झारखंड	9	251.5	1	2284.02
16	कर्नाटक	55	2499.92	0	0
17	केरल	151	385.79	45	1147.34
18	लद्दाख	2	4.96	2	192.05
19	मध्य प्रदेश	29	3882.63	36	5432.04
20	महाराष्ट्र	36	3294.03	46	12510.96
21	मेघालय	2	57.13	0	0
22	मिजोरम	3	13.73	1	39.22
23	नागालैंड	2	8.00	2	93.92
24	ओडिशा	13	138.21	0	0
25	पुदुचेरी	9	11.43	4	107.14
26	पंजाब	62	1504.65	12	541.86
27	राजस्थान	30	2360.19	43	5673.7
28	तमिलनाडु	18	5670.80	30	6623.4
29	तेलंगाना	4	203.30	12	5775.11
30	त्रिपुरा	1	11.42	0	0

31	उत्तर प्रदेश	159	7353.01	26	5054.93
32	उत्तराखंड	44	188.1	0	0
33	पश्चिम बंगाल	3	192.5	2	341.11
	कुल	889	34467.01	583	66117.69

******